न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील /टीए/526 व 527/2005/भरतपुर

1– फतेह सिंह
2– भवानी सिंह
3– सियाराम
4– हरिओम
5– भूरा
6– सतीश
पुत्रान मानसिंह जाति राजपूत निवासी कटारिया पुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– निरासी
2– रामधन
पिसरान गेंदा जाति माली निवासी नगला झामरा मजरा वल्लभगढ तहसील बयाना जिला भरतपुर
3– राजस्थान सरकार
4– सोरेन बेवा मानसिंह जाति राजपूत निवासी कटारिया पुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

..... प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री राजेश गौतम, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय दिनांक–25.07.2025

1– हस्तगत् दोनों अपीले न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–12–04 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। दोनों ही अपीलों में विवादित भूमि, विवाद का बिन्दु और पक्षकारान समान है तथा अपीलीय न्यायालय

द्वारा भी दोंनो अपीलों का निस्तारण अपने एक ही निर्णय से किया है ऐसी स्थिति में हमारें द्वारा हस्तगत् दोनों अपीलों का निर्णय इस एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

2— अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के समक्ष अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् बंटवारे का प्रस्तुत किया, जिसके वाद नं0 294/02 जो कि सोरेन बनाम निरासी था। उक्त वाद रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी के खिलाफ प्रस्तुत किया गया तथा उक्त दावा दिनांक 16—11—02 को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया। इसी दौरान प्रतिवादीगण ने भी एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी/ रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत दावे का अपीलान्ट्स ने जवाब प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य इसी आराजी बाबत् एवं इन्ही पक्षकारों के मध्य दावा डिक्री हो चुका है इसलिये यह दावा रेसज्यूडिकेटा के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना ने रेस्पोडेन्ट का दावा दिनांक 24—02—04 को रेसज्यूडिकेटा मानते हुए खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण ने दो अपीलें उपखंड अधिकारी बयाना के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16—11—02 एवं 24—02—04 के विरूद्ध न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होने निर्णय दिनाक 20—12—04 से दोनों अपीले स्वीकार कर प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया, जिससे व्यथित होकर हस्तगत् दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई है।

3— उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालयों के रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

4— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपील ज्ञापन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री न्याय नियम एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि अपीलांट द्वारा किया गया वाद पूर्व में ही डिक्री हो गया था तथा आराजी एवं पक्षकार समान थे इसलिये रेसज्यूडिकेटा का बिन्दु रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद पर पूर्ण रूप से लागू होता है तथा इसी आधार पर विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया था किन्तु अपीलीय न्यायालय ने रेसज्यूडिकेटा के बिन्दू को इग्नोर कर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि दिनांक 16—11—02 को ही अपीलान्ट का वाद डिक्री हो गया था, जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट्स ने 2 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की थी. जिसका कोई उचित कारण नही था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट की अपील स्वीकार करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ अपीलीय

न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी अपीलान्ट/वादी व रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी के 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज है उसी अनुसार विचारण न्यायालय ने वादी का वाद सही रूप से डिक्री किया था किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्य को समझे बिना ही प्रकरण को रिमाण्ड कर दिया। बंटवारे की दावे में घोषणा का अनुतोष होता है क्योंकि उक्त आराजी पर अपीलार्थीगण का नाम पूर्व से ही दर्ज है। इसलिये अलग से घोषणा करवाने की आवश्यकता नहीं थी तथा पूर्व से ही वादी एवं प्रतिवादी मनबट के आधार पर उक्त आराजी पर काबिज थे। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने दावा डिक्री किया था। विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य एवं विवेचन के पश्चात निर्णय व डिक्री जारी की है, किंतु अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं को नजरअदांज करते हुये अपने संक्षिप्त निर्णय द्वारा परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित (Remand) कर दिया। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावे एंव अपील स्वीकार की जाकर परीक्षण न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावे।

5— उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कहा कि विवादित आराजी में दोनों पक्षकारान 1/2—1/2 भूमि के खातेदार है। कुल 15 रकबे हैं जिनका रकबा 3.50 एयर है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का दावा डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय ने सारी भूमि में से खसरा नं 256, 334/1062, 256/1120, 258 कुल किता 4 कुल रकबा 1.80 एयर का अपीलार्थी को खातेदार घोषित कर दिया। विचारण न्यायालय ने निर्णय में निष्कर्ष अंकित नहीं किया। दावे के बाद नोटिस दिया किंतु रेस्पोडेंट की तामील नहीं हुई। रामदीन की फर्जी तामील करके दिनांक 23—10—02 को एकपक्षीय कार्यवाही कर दी। इनके शपथ—पत्र लेकर मौखिक साक्ष्यों के आधार पर दावा डिक्री कर दिया। दावा दिनांक 18—9—02 को प्रस्तुत किया। उसी दिन वाद दर्ज कर 17—10—02 को नोटिस, 23—10—02 को एकतरफा 2—11—02 को शपथ—पत्र लिए और 16—11—02 को निर्णय लगभग 2 माह में कर दिया। मौखिक साक्ष्यों के आधार पर निर्णय में बंटवारे के नंबर स्पष्ट नहीं किए। एकपक्षीय डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है। तामील असालतन निरासी को नहीं हो कर रामधन को हुई, जो भाई है। किंतु अलग—अलग रहते हैं। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट को विधिवत् सुनवाई का मौका नहीं दिया। एकपक्षीय कार्यवाही से पूर्व उचित व पर्याप्त तामील होना आवश्यक है। घोषणा का दावा नहीं लाकर बंटवारे का दावा लाया गया तथा खातेदारी दर्ज करने की मांगी। विचारण न्यायालय ने बिना अनुतोष मांगे वादी को खातेदार घोषित कर दिया। पत्रावली में यह भी साक्ष्य नहीं है कि खेत में ट्यूबैल वादी अपीलार्थी द्वारा लगाया गया हो। एकतरफा डिक्री अवैध है। बंटवारे की डिक्री में खातेदारी चैलेंज नहीं की तथा भूमिधारी की स्वीकृति के बिना वाद को डिक्री नहीं किया जा सकता। अन्य अपील निरासी बनाम

फतहसिंह में रेस्पोडेंट की अपील धारा 11 सी. पी.सी. रेस ज्यूडीकेटा के आधार पर खारिज की गई। दिनांक 16–11–02 को विचारण न्यायालय ने विभाजन होना बताया जिसे रेस ज्यूडीकेटा त्रुटिपूर्ण माना गया। अधीनस्थ न्यायालय को दोनों दावे कंसोलिडेंट करके डिक्री जारी करनी चाहिए। जबकि रेसज्यूडीकेटा में फैक्ट एण्ड लॉ के मिश्रित बिंदु होने से साक्ष्य लेकर तनकी बना कर तय करने चाहिए। यदि पूर्व वाद में इश्यू फ्रेम नहीं हुआ हो तो प्रकरण में रेस ज्यूडीकेटा लागू नहीं होता। क्योंकि विभाजन के वाद में धारा 88 का अनुतोष नहीं दिया जा सकता। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रत्यर्थी की अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में किसी प्रकार की कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की दिखाई देने वाली विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने के कारण द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलें सारहीन होने से खारिज की जावे।

6– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के समक्ष अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् बटवारे का प्रस्तुत किया गया, जिसके वाद नं0 294/02 जो कि सोरेन बनाम निरासी था। उक्त वाद रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी के खिलाफ प्रस्तुत किया गया तथा उक्त दावा दिनांक 16–11–02 को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया। इसी दौरान प्रतिवादीगण ने भी एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी/ रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत दावे का अपीलान्ट्स ने जवाब प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य इसी आराजी बाबत् एवं इन्ही पक्षकारों के मध्य दावा डिक्री हो चुका है इसलिये यह दावा रेसज्यूडिकेटा के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना ने रेस्पोडेन्ट का दावा दिनांक 24–02–04 को रेसज्यूडिकेट मानते हुए खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण ने दो अपीलें उपखंड अधिकारी बयाना के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–11–02 एवं 24–02–04 के विरूद्ध न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होने निर्णय दिनाक 20–12–04 से दोनों अपीले स्वीकार कर प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया, जिससे व्यथित होकर हस्तगत् दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से यह तथ्य स्पष्ट है कि पक्षकारान विवादित आराजी के 1/2–1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद में आवश्यक तनकीयात कायम नहीं की गई तथा वादी अपीलार्थी द्वारा वाद में चाहे गये अनुतोष से हटकर खातेदारी घोषणा की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा

प्लीडिंग से बाहर जाकर निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा वादी का वाद एकपक्षीय डिक्री किया गया है। प्रतिवादी रेस्पोडेंट को विधिवत् नोटिस तामील नहीं करवाये गये और न हीं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। भूमिधारी तहसीलदार से विभाजन के समय रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। ऐसी स्थिति में जो भूमि दोनों पक्षकारों के सहखातेदारी में है उसमें अच्छी मे से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का हिस्सा पक्षकारों के मध्य विभाजित करना चाहिए जो नहीं किया गया। खसरा नं. 256 को देखने से भी यह स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय ने डिकी करते समय भूमि के विभाजन में समानता का दृष्टिकोण नहीं अपनाया।

8— विचारण न्यायालय को वाद निरासी बनाम फतहसिंह के संबंध में भी दोनों प्रकरणों में आराजी, विवाद समान होने एवं पक्षकार के समान होने से दोनों पत्रावलियों को इकजाई किया जाकर डिक्री पारित करनी चाहिए थी जो नहीं की गई तथा जो बिंदु रेस ज्यूडीकेटा को मानकर निर्णय दिया गया है उसमें भी फैक्ट एण्ड लॉ के बिंदुओं को नजरंदाज किया है। और बिना साक्ष्य व बिना तनकी बनाए निर्णय पारित किया है। दूसरे पक्ष को बिना सुने व बिना सबूत का मौका दिए पारित की गई डिक्री नियमों में दी गई व्यवस्था के विपरीत है। पूर्व वाद में तनकी नहीं बनी होने से रेस ज्यूडीकेटा का सिद्धांत लागू होना नहीं माना जा सकता। अपीलीय न्यायालय ने अपील संख्या 44/04 व 46/04 में पारित एकपक्षीय डिक्री को न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत तथा विधि विरुद्ध होने से निरस्त किया है तथा दोनों अपीलें स्वीकार कर कतिपय निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित की हैं कि वह दोनों पत्रावलियों को एक जगह कंसोलीडेट कर, आवश्यक तनकीयात कायम कर पक्षकारान की साक्ष्य/सबूत लेते हुये भूमिधारी तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। इस खंड पीठ के विनम्र मत में रेस्पोडेंट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये प्रस्तुत साक्ष्य तथा गवाहों के आधार पर तनकीवार निष्कर्ष अंकित कर गुणावगुण पर पुनः निर्णय दिया जाना अपीलीय न्यायालय द्वारा आवश्यक मानते हुये प्रकरण विचारण न्यायालय को कतिपय निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया है, जो प्रकरण की वस्तुस्थिति के सम्बंध में उचित प्रतीत होता है।

9— उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह मत है कि विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 16—11—02 एवं 24—2—04 पारित करने में विधिक प्रक्रियाओं की पालना किये बिना निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि की है और ऐसे त्रुटिग्रस्त निर्णय व डिक्री को निरस्त कर अपील में रेस्पोडेंट को पुनः सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु कतिपय निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करने के ''प्रथम अपीलीय न्यायालय

द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 20–12–04'' में विधि अथवा तथ्य सम्बंधी ऐसी कोई तात्विक त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। सारांशतः हस्तगत द्वितीय अपीलें सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

10– परिणामतः हस्तगत दोनों अपीलें सारहीन होने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष